भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-331

उत्तर दिनांक - 27/11/2024 को दिया गया

कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

331. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) आंध्र प्रदेश में कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की वर्तमान स्थिति सहित परियोजना में हाल ही में हासिल की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोव्वाडा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए कुल कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है और भूमि अधिग्रहण के पूरा होने की समय-सीमा क्या है, साथ ही कितनी भूमि उत्परिवर्तित और एनपीसीआईएल को हस्तांतरित की गई है;

(ग) परियोजना में विस्थापित हुए परिवारों (पीडीएफ) की संख्या क्या है और आर एंड आर पैकेज के तहत उनके पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) मुआवजा, आवास और आजीविका सहायता सहित आर एंड आर पैकेज का घटक-वार ब्यौरा क्या है, साथ ही पैकेज के प्रत्येक घटक के लिए उनकी वर्तमान स्थिति और अपेक्षित समापन समय-सीमा क्या है; और

(ङ) आज तक आर एंड आर पैकेज के लिए आवंटित और उपयोग की गई धनराशि क्या है, साथ ही शेष बजटीय जरूरतों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) कोव्वाडा परियोजना की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है:

- मुख्य संयंत्र क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा कर लिया गया है।
- प्रारंभिक भू-तकनीकी जांच, भूवैज्ञानिक और भूकंप-विवर्तनिज (टेक्टोनिक) अध्ययन जैसी पूर्व-परियोजना गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं।
- दीवार सीमा (13 किमी) का निर्माण, 6 माइक्रो भूकंप स्टेशनों की स्थापना और एक मौसम विज्ञान निगरानी प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।
- यूएसए के वेस्टिंगहाउस इलेक्ट्रिक कंपनी (डब्ल्यूईसी) के साथ कोव्वाडा में एपी 1000 रिएक्टरों की 6 इकाइयों के कार्यान्वयन के लिए एक व्यवहार्य परियोजना प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। डब्ल्यूईसी ने इसके लिए अभी तक तकनीकी-वाणिज्यिक प्रस्ताव (टीसीओ) प्रस्तुत नहीं किया है।

(ख) 2079.66 एकड़ के कोव्वाडा नाभिकीय विद्युत संयंत्र हेतु मुख्य संयंत्र क्षेत्र की भूमि अधिग्रहित कर एनपीसीआईएल के नाम पर दर्ज की गई है। आर एंड आर कॉलोनी के लिए 190.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा कर्मचारी टाउनशिप के लिए भूमि निर्धारित की गई है।

(ग) जिला प्रशासन द्वारा कुल 1865 परियोजना विस्थापित परिवार (पीडीएफ) निर्धारित किए गए हैं। आज की स्थिति के अनुसार, कुल 1848 पीडीएफ को नकद भुगतान किया जा चुका है। आरएंडआर कॉलोनी निर्माण के लिए, 190.7 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और प्रदान की जाने वाली सुविधाओं को राज्य सरकार के समन्वय में अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुविधाओं को अंतिम रूप देने के बाद कॉलोनी का निर्माण शुरू किया जाएगा।

(घ) एनपीसीआईएल ने मुख्य संयंत्र क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर पैकेज हेतु जिला प्रशासन को 506.95 करोड़ रुपए और आर एंड आर कॉलोनी के भूमि अधिग्रहण के लिए 77.234 करोड़ रुपए स्थानांतरित किए हैं। जिला प्रशासन द्वारा पीडीएफ को आर एंड आर नकद पात्रता का भुगतान किया गया है। सुविधाओं को अंतिम रूप देने के बाद आर एंड आर कॉलोनी का निर्माण कार्य किया जाएगा। उम्मीद है कि कॉलोनी निर्माण में, इसके लिए कार्य प्रदान किए जाने के बाद लगभग 2 वर्ष लग जाएंगे। आरएफसीटीएलएआरआर-अधिनियम 2013 में उल्लिखित सुविधाओं के साथ आरएंडआर कॉलोनी की ड्राफ्ट मास्टर योजना में भी आजीविका सहायता हेतु सुविधाओं पर विचार किया गया है।

(ङ) अब तक भूमि अधिग्रहण और आरएंडआर के लिए कुल 584.184 करोड़ रुपए (मुख्य संयंत्र भूमि के लिए 506.95 करोड़ रुपए + आरएंडआर कॉलोनी भूमि के लिए 77.234 करोड़ रुपए) खर्च किए गए हैं। शेष राशि की आवश्यकता लगभग 882.93 करोड़ रुपए (आर एंड आर कॉलोनी और अन्य पूर्व-परियोजना गतिविधियों के निर्माण के लिए) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है।

*****